

निर्णय

21.4.2025

2025/250


फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
ओमप्रकाश बनाम डुलीचन्द आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 16 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28.03.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 09.04.2025 को पेश हो।	
02.4.2025	<p>वकील प्रतिवादी ने पत्रावली - पत्र मिथाल पेसी पेश करते पर पत्रावली के पेसी में सिपा 01/01 व कुलाए फरिबेन उमरिचरी व जी व फरिबेन सं. 1 ने हखिर अहकाम कायद राकीनामा पेश किया जिसे काउ वरडीड 21/03/2025 कार्वल सिपा 01/01 स्टेट पत्रावली 01/01 उमरि उमरि पत्रावली कास्के वरडु कावरेड 03.4.2025 को पेश हो। प्रतिवादी सं. 1 ने जलिये वकील श्री बलकल डिभा उपस्थित कायद पत्र पेश किया कि राजीनामा प्राप्त ना किया जावे जिस पर वकील वादी ने अनापति पेश की। प्रतिवादी सं. 1 ने जलिये कायद मय अहकाम जलिये पेश किया जिस पर वकील वादी ने अनापति पेश की। पत्रावली वाले हास्य कावरेड 21.4.2025 को पेश हो।</p>	<p>आमदारी</p> <p>आमदारी</p> <p>डुलीचन्द</p> <p>104 me</p> <p>02/04/25</p>
21.4.25	<p>कुलाए फरिबेन उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण प्राप्त नहीं। कायद नकले। कुलाए फरिबेन की वरडु हुनी कई। पत्रावली का अखबोरन सिपा</p>	

गया । पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर
बाद की मुताबिक डाक्यू वलेम अतिवर्षी सं ।
छिड़ी किमा जाता है । छुर्ण विगण सहित निम्न
कालग से लिखाया अवल शामिल कर्षित विधा
जाके । पत्रावली नम्बर से एक ही जाकर डाकिल
इसतर (हो)

८१